

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 12.11.2021

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	अफरोज तरन्नुम वरिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
2.	जगजीत वशिष्ठ कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय नगर निगम जयपुर ग्रेटर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
3.	मनोहर लाल कनिष्ठ विधि अधिकारी	आयुक्त, नगर निगम जोधपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने हेतु।
4.	चन्द्रकान्ता मौर्य कनिष्ठ विधि अधिकारी	पर्यटन विभाग जयपुर	1. यू.जी.सी. नेट एग्जाम-2021 2. राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा-2021 3. डिप्लोमा इन लेबर लॉ 2020-21 परीक्षा (परीक्षा हो चुकी)
5.	हर्ष यादव कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर	1. यू.जी.सी. नेट परीक्षा 2. राजस्थान संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 3. सहायक आचार्य परीक्षा

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

12.11.2021
संयुक्त शासन सचिव